न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रूबरू दिनांक	निर्णय दिनांक
138/2017	धारा 91 एल.आर.एक्ट	06.11.2017	21.12.2017

उमराव सहकार बनाम विनोद पुत्र जिसराम जाति जाट निवासी जयसिंहसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

=: निर्णय :=

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त मे इस प्रकार है। पटवारी हल्का शाहपुर ने सम्वत 2074 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम जयसिंहसर की राजकीय भूमि गै0मु0 बजड़ ख0न0 76 कुल रकबा 2.54 है0 किस्म गै0मु0 बजड़ में से 0.01 है0 भूमि पर अतिक्रमी श्री विनोद पुत्र जिसराम जाति जाट निवासी जयसिंहसर ने अवैध रूप से गोबर,छड़ी,पत्थर,कुरड़ी डालकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी के नोटिस तामिल पत्नि से करवाई गयी उसके बावजूद अनुपस्थित रहा।

पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया । अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि मे गोबर,छड़ी,पत्थर,कुरड़ी डालकर अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से गोबर,छड़ी,पत्थर,कुरड़ी डालकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 2.23/- का अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान 0.02 की 50 गुणा जुर्माना राशि 1/-रूपये बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली/हेतु लिखा जावे। भू0अ0निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

93

Suman

(भँवर लाल कुमावत)
नायब तहसीलदार बुहाना
(कार्यवाहक तहसीलदार बुहाना)

Scanned by CamScanner